

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर-492 002

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 11 8 JAN 2017

क्रमांक एफ 7-25/2016/12 :: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय खान एवं खनिज संगोष्ठी में दिनांक 4.7.2016 को की गयी घोषणाओं के तारतम्य में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निधि नियम, 2015 के नियम 22 के उपखण्ड 2 के पैरा (अ) के प्रावधानों के तहत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित मदों में भी न्यास निधि के उपयोग किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं :-

- श्री 3220 / 1
- 1.1 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की कंडिका (ड.) के अंतर्गत आने वाले गौण खनिजों को छोड़कर अन्य हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों, परमाणु खनिजों, धात्विक और गैर धात्विक खनिजों के खनन पट्टा क्षेत्र हेतु ली गयी भूमि के भूमि स्वामियों के परिवार के सदस्यों के लिए मेडिकल, इंजिनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट आदि उच्च शिक्षा और नर्सिंग की शिक्षा के लिए शासकीय कॉलेज में अध्ययन करने वालों को पूरी ट्यूशन फीस की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता शैक्षणिक सत्र 2016-17 से दी जाएगी।
 - 1.2 खदान क्षेत्रों के ग्रामों में महिलाओं को उज्जवला योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत रसोई गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा तथा पहला भरा रसोई गैस सिलिण्डर रुपये दो सौ की टोकन राशि में उपलब्ध कराया जाएगा।
 - 1.3 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की कंडिका (ड.) के अंतर्गत आने वाले गौण खनिजों को छोड़कर अन्य हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों, परमाणु खनिजों, धात्विक और गैर धात्विक खनिजों के खनन पट्टा क्षेत्र के ग्रामों में शत-प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इफक्त आरा)

संयुक्त सचिव

पृ.क्रमांक एफ 7-25/2016/12
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 11 8 JAN 2017

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

DIRECTOR
19 JAN 2017

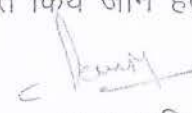
चौराकी

2

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
- ✓ 3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी, द्वितीय तल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. कलेक्टर/ पदेन अध्यक्ष, समस्त जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला छत्तीसगढ़,
5. उप संचालक (खनिज प्रशासन)/ खनि अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय (खनि शाखा), जिला छत्तीसगढ़,

की ओर उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।




अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग